18.6.18

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि ख.नं. 684 में से हिस्सा 15/22 वादी के पिता रामकुमार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि में वादी का हिस्सा होने के कारण वादी टीनेन्ट खातेदार है। प्रतिवादी महेन्द्र का उक्त वर्णित भूमि से कोई लेना देना नहीं है तथा ना ही वह उक्त वर्णित भूमि का खातेदार है फिर भी वह वादी के हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में दखलदांजी करता है जिसका उसको कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त विवेचन के वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम पोसाना की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. 684 में से वादी के हिस्से की व वादी के पिता का हिस्सा 15/22 में से कोई दखलदांजी नहीं करें भूमि में किसी प्रकार की कोई दखलदांजी नहीं करें तथा उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करें। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।